जेसिका लाल हत्याकांड

बजरंगलाल

एक कहानी है कि मकान मालिक को मुहल्ले में आग लगने की सूचना मिली किन्तु उसने मुहल्ले की आग बुझाने की कोई चिन्ता नहीं की। आग पड़ोस तक आ गई तब भी वह निश्चिन्त था कि उसके अपने घर की आग बुझाने की कोई चिन्ता नहीं की। आग पड़ोस तक आ गई तब भी वह निश्चन्त था कि उसके अपने घर की आग बुझाने लायक सामान उसके पास हैं। आग उसके घर में आई तो उसने सक्रिय होकर के घर की आग बझा ली किन्तु पडोस और मुहल्ला जलता रहा। कुछ घण्टो बाद आग ने पुनः उसके घर में प्रवेश किया और उसका घर भी जल गया क्योंकि आग बुझाने का सामान तो पहले ही समाप्त हो चुका था।

पूरे भारत में अपराधियों को सजा बहुत कम ही मिल पाती है। आजकल अपराधियों को निर्दोष सिद्ध होने में तीन शक्तियों में से कोई एक पर्याप्त होती हैं। (1) गुंडा शक्ति (2) धन शक्ति (3) पद या सत्ता शक्ति । यदि उसके पास इन तीन में से एक से अधिक शक्तियाँ प्राप्त हों तब तो उसका निर्दोष छूटना पंचान्नवे प्रतिशत तक निश्चित हो जाता किन्तु यदि तीनों में से कोई एक ही शक्ति बहुत अधिक विशाल मात्रा में इकट्ठी हो जावे तो एक ही शक्ति उसे शत् प्रतिशत निर्दोष प्रमाणित करने में प्रर्याप्त होती हैं। पूरे भारत में यह बिल्कुल आम बात है जिसे भारत का आम नागरिक जानता हैं।

अपराध मुक्ति के लिए तीन प्रयत्न होते हैं। (1) गवाह को प्रभावित करना । (2) पुलिस जाँच को प्रभावित करना। (3) न्यायालय को प्रभावित करना । सम्पूर्ण भारत में अपराधी तीनों में से किसी भी एक या एक से अधिक माध्यम को भय धन या पद के प्रभाव से प्रभावित करके निर्दोष प्रमाणित होते रहते हैं। और जिसके पास भय धन या पद की शक्ति नहीं होती वह बेचारा सजा पाकर समाज में न्याय का प्रतिशत बढ़ाता रहता हैं। छोटे से छोटे न्यायालय में भी यदि परीक्षण करें तो ऐसी ही स्थिति दिखाई देती हैं। भारत का एक भी ऐसा जिला नहीं जाहाँ स्थिति कुछ अलग हो। इतना फर्क हो सकता है कि कहीं एक माध्यम का अधिक प्रभाव हो तो कहीं दूसरे का।

पूरे भारत को देखकर देश के राजनेताओं, मीडिया कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कभी चिन्ता नहीं हुई कि अपराधी सजा से बचने में तीन माध्यमों का भरपूर उपयोग करते हैं। किन्तु जब दिल्ली में इस संबंध में हल्ला ' शुरू होता हैं। दिल्ली के साथ–साथ सारा देश भी इस बात से इस तरह चिन्तित होता है जैसे कोई विशेष घटना घटित हो गई हो। संसद में चर्चा ' शुरू हो गई । उच्च न्यायालय हरकत में आ गया । बुद्धि जीवी प्रश्न करने लगे कि जब दिल्ली में ऐसा हो सकता है तो शेष भारत में पता नहीं क्या होता होगा । ऐसा नाटक ' शुरू हुआ जैसे कि दिल्ली की जेसिका लाल हत्याकांड के निर्णय के पर्व न संसद सदस्य देश की न्यायिक स्थिति को जानते थे न ही मीडिया कर्मी। पूरे भारत का बच्चा–बच्चा जानता है कि ' शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, कृष्णानन्द राय सरीखें हजारों छोटे बड़े लोग कैसे निर्दोष सिद्ध होते हैं। सबने प्रत्यक्ष देखा है कि स्टिंग आपरेशन में कैसे साधारण सांसदों के निलंबन और निष्कासन में जितना त्वरित न्याय हुआ उसका ' शतांश भी नटवर सिंह मामले में नहीं हुआ। और तो और उनकी संसद सदस्यता निलंबित भी नही हुई निष्कासन तो बहुत दूर की बात हैं। हम रोज देखते है कि कैसे धन के बल पर गवाह, पुलिस या न्यायालय को प्रभावित करके न्याय खरीदा जाता हैं। सारे देश के लोग जिस बात को वर्षों से जानते हैं वह हमारी संवैधानिक व्यवस्था को जैसिका लाल हत्याकांड निर्णय से पता चली और व्यवस्था के सभी अंग तुरंत ही व्यवस्था पर नागरिकों का विश्वास समाप्त न हो जावे। इसके लिये गंभीर सक्रियता प्रदर्शित करने लगे। सच भी है कि समाज को लम्बे समय तक धोखा देने के लिये बीच–बीच में एकाध ऐसे मामले अवश्य उठते रहने चाहिये कि समाज में व्यवस्था की विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त न हो जावे । न्यायालय ने अपनी विश्वसनीयता के लिये बेस्ट बेकरी कांड का भरपूर उपयोग किया, विधायिका ने सांसद रिश्वत कांड का और अब कार्यपालिका को जेसिका कांड मिल गया है। ये भी अब अपराधियों को सजा दिलाकर ही दम लेंगे जिससे समाज में इनकी भी जागरूकता, निष्पक्षता और न्याय प्रतिवद्धता का डंका कुछ वर्षों तक और बजता रहे।

यह लगभग प्रमाणित ही दिखता है कि बेस्ट बेकरी कांड के अभियुक्त भी दोषी थे, सांसद भी घूस लेने के दोषी थे और जेसिका कांड के अभियुक्त भी दोषी थे। इन सबको दण्डित होना न्याय की आवश्यकता थी। किन्तु इसके साथ–साथ यह भी पूरी तरह प्रमाणित है कि ये घटनाएँ भारत में घट रही हजारों लाखों घटनाओं का नमूना मात्र थीं, कोई विशेष घटनाएँ नहीं। इन घटनाओं के मद्दे नजर भविष्य की न्यायिक प्रशासनिक और विधायी व्यवस्था पर गंभीर विचार मंथन करके व्यवस्था में संशोधन के उपाय सोचने चाहिए थे। किन्तु हुआ इसका ठीक विपरीत ।

अर्थात् प्रक्रियाओं और प्रणाली पर विचार मंथन की अपेक्षा घटना विशेष को मुद्दा बनाकर अपराधियों को दण्डित कराने में ही सम्पूर्ण ताकत लगा दी गई । तात्कालिक सक्रियता में इतनी जल्दबाजी हुई कि न्याय के लिये सारी कानूनी प्रक्रियाओं को भी ताक पर रख दिया गया। कानून से हटकर बेस्ट बेकरी कांड के अभियुक्तों को सजा दिलाने के न्यायिक प्रयत्न किये गये, कानून से हटकर सांसदों को जेसिका लाल प्रकरण में भी कानून से हटकर न्याय दिलाने की होड़ लगी हुई हैं। समझ मे नहीं आता कि हमारी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका न्याय के लिये उतनी चिन्तित क्यों नहीं है जितनी अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिये है। विश्वसनीयता और न्याय तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कानून में संशोधन से न्याय देने का धैर्य रखा जायगा ता सम्पूर्ण भारत में अपराधियों को दण्ड मिलना ' शुरू हो जायगा और यदि कानून से हटकर कुछ चर्चित मामलों में ही न्याय का विशेष प्रयत्न होगा तो न्याय पर विश्वास का भम तो बन सकता है परन्तु आम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा ।

मैंने बेस्ट बेकरी प्रकरण के समय भो लेख लिखकर गलत परंपरा की चेतावनी दी थी और सांसद विश्वत कांड में भी यही कहा था । आज पुनः मैं वही आशंका व्यक्त कर रहा हूँ कि अपराधी को किसी निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अपराधी घोषित किया जएगा या वास्तविकता के आधार पर। यदि वास्तविकता के आधार पर अपराधी घोषित करने कराने की प्रक्रिया शुरू हुई हो आज भले ही अच्छा लगता हो किन्तु भविष्य में कई तरह के संकट उत्पन्न होंगे। आज व्यवस्था से न्याय की अधिक आवश्यकता है किन्तु हम न्याय के लिय या न्याय के नाम पर लगातार व्यवस्था को कमजोर करते जाने का खतरनाक प्रयोग करते जा रहे हैं। आज जो लोग जेसिका लाल प्रकरण में इतना हो हल्ला कर रहे हैं उन्होंने क्या कभी पहले भी चिन्ता ली कि गवाह बदल रहे हैं या पुलिस केश को खराब कर रही है ? गवाह कोई एक दिन में तो बदल नहीं गये। हमें या तो पहले से चिन्ता करनी चाहिए थी या न्यायिक प्रक्रिया में कुछ ऐसा संशोधन करना चाहिए था कि धन, पद या भय से गवाह पुलिस या न्यायालय को प्रभावित करना कठिन नहीं। जिन जिलों के एस. पी. कलेक्टर और जिला जज मिलकर महसूस करें कि उनके जिलें में आम तौर पर अपराधी किसी न किसी प्रभाव से छूट रहे हैं वहाँ वे मिलकर अल्पकाल के लिये विशेष न्यायिक व्यवस्था लागू कर सकते हैं। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गुप्तचर पुलिस कुछ प्रकरण गुप्त रूप से न्यायालय की विशेष रूप से बनी गुप्तचर पुलिस ' शाखा को प्रस्तुत करे और गुप्तचर न्यायालय उसका गुप्त ट्रायल कर सकती हैं। इस प्रक्रिया में अपराधियों को दण्ड मिलना अधिक सुविधा जनक हो जयेगा और धन, पद या भय की भूमिका कम होकर व्यवस्था का भय पैदा होगा। इसमें सरकारी हस्तक्षेप की भी गुंजाइश नहीं रहेगी और गवाहों को कोई डर भय भी नहीं रहेगा। इस प्रक्रिया से लोकतंत्र की वर्तमान विकृत परिभाषा कमजोर होगी जिसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए । अपराधियों को दण्ड मिले और कानूनी प्रक्रिया से मिले यही हमारा उद्देश्य है और इस संशोधन से हमारा यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। मैंने तो एक सुझाव मात्र दिया है। यदि इससे भी अच्छा कोई सुझाव आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे।

पत्रोत्तर

(1) श्री सुनील एक्का, दिल्ली

डॉ. भरत झुनझुनवाला एक भारत विख्यात अर्थशास्त्री हैं। उन्होनें दैनिक जागरण बाइस फरवरी के लेख में भारत गांधी के वोटर पेंशन सुझाव की प्रशंसा की है। उनके लेख पर आपके विचार क्या हैं। आप भरत झुनझुनवाला जीके सुझाव और भरत गांधी जी के सुझाव से कितना सहमत हैं ?

उत्तर :– श्री झुनझुनवाला एक प्रसिद्ध आर्थिक विचारक हैं। उन्होंने अपने सम्पूर्ण लेख में मुख्य रूप से तीन निष्कर्ष निकाले हैं।

(1) भारत ने राष्ट के रूप में बहुत भौतिक विकास किया है किन्तु विकास का लाभ नीचे के वर्ग को पर्याप्त नहीं पाया क्योंकि ' शासन ने नीचे के वर्ग को कल्याण के लिये जो भी धन खर्च किया उसका पंचान्नवे प्रतिशत लाभ विचौलियों ने उठा लिया।

(2) अर्थनीति को ऐसा बदला जावे कि मानव श्रम का अधिक उपयोग करने वालों कम को टैक्स और श्रम कानूनों से अधिक सुविधा प्राप्त हो।

(3) सरकार सभी प्रकार की सब्सीडी एकमुश्त नगद देना ' शुरू कर दें। अभी कुल सब्सीडी साढ़े चार लाख करांड़ है। भरत गांधी की योजना अनुसार उसे प्रत्येक व्यक्ति में बराबर–बराबर बांट दें तो प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष चार हजार अर्थात पांच व्यक्ति के परिवार को बीस हजार मिल सकती हैं।

मैंने भी झुनझुनवाला जी के तीनो प्रस्तावों से कुछ संशोधनों के साथ सहमत हूँ। विकास का लाभ नीचे के वर्ग को या तो नहीं मिला या नगण्य ही मिल पाया है। सारा लाभ बिचौलियों ने उठा लिया। दैनिक नवभारत बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अठाइस फरवरी दो हजार छः के पृष्ठ एक पर एक समाचार छपा है जिसमें राशन के चावल, गेहूँ मिठ्टी तेल की उपभोक्ता तक पहुँचने की मात्रा का विवरण प्रान्त अनुसार है। उनके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल अनाज का चालीस प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में चादह प्रतिशत, अरूणांचल में चार प्रतिशत और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में यह मात्रा शुन्य प्रतिशत रही। अन्य राज्यों में भी स्थिति लगभग ऐसी ही रही। संतोष की बात यह रही कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य होने के बाद भी पश्चिम बंगाल की अपेक्षा वहाँ राशन में कम भष्टचार हुआ । आश्चर्य तो यह भो होता है कि वामपंथी राशन के अनाज की मात्रा और सब्सीडी बढ़ाने के लिए अन्य सभी दलों की अपेक्षा अधिक हो हल्ला करते हैं किन्तु उनके राज्य में राशन का अनाज गरीबों तक पहुँचने का प्रतिशत सिर्फ चौदह है। संभव है कि लाभ उठाने वाल बिचौलियों में वे स्वयं ' शामिल हों।

मैं मानता हूँ कि भारत की सभी आर्थिक अन्यायों का एक मात्र समाधान है रोजगार में मानव श्रम की मांग का बढ़ना । जब तक श्रम की मांग और महत्व नहीं बढ़ेगा तब तक अर्थव्यवस्था का लाभ निचले तब के तब पहुँच ही नहीं सकता। किन्त मेरी मान्यता यह है कि श्रम की मांग और महत्व वृद्धि का प्रशासनिक समाधान करने की अपेक्षा आर्थिक समाधान अधिक उपयुक्त होगा। किसी भी भ्रष्ट व्यवस्था में प्रशासनिक समाधान उन्हीं समस्याओं का करना चाहिए जिनके समाधान का कोई मार्ग शेष न हो। आर्थिक समस्याओं का तो प्रशासनिक समाधान खोजना ही नहीं चाहिए । भारत में श्रम की मांग वृद्धि का सबसे आसान और निश्चित परिणाम दायक तरीका है कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि दुनिया के इस्लामिक देशों की अर्थव्यवस्था को भी हानि पहुँचाकर मुस्लिम साम्प्रदायिकता की कमर तोड़ सकती है। किन्तु आर्थिक असमानता में कमी और श्रम की मांग, मूल्य और महत्व वृद्धि में इसका निश्चित अच्छा परिणाम होगा, जो बिचौलिये कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि श्रम की मांग, महत्व और मूल्य वृद्धि के सभी प्रशासनिक उपाय भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करेंगे और ये अवसर अन्ततोगत्वा बिचौलियों को ही लाभ पहुँचायेंगे।

आपने शासन की सम्पूर्ण लाभकारी योजनाओं का सम्पूर्ण धन एकमुश्त नगद और प्रति व्यक्ति को समान रूप से देने का सुझाव दिया है। मैं इस योजना से पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने भारत के अपने प्रस्तावित संविधान में यही व्यवस्था भी की है कि भारत में सिर्फ एक कर होगा – '' सम्पति कर ''। यह कर सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति पर एक समान दर से लगेगा। अन्य सभी कर समाप्त कर दिये जायेंगे। श्रम की मांग बढ़ाने के उद्देश्य से कृत्रिम ऊर्जा मूल्य वृद्धि से प्राप्त धन में से प्रशासनिक व्यय के बाद शेष सारा धन प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से बांट दिया जाएगा। भरत झुनझुनवाला जी ने भी बिल्कुल यही सुझाव दिया है। हो सकता है कि झुनझुनवाला जी ठीक हैं। मैंने सन् पंचान्नवें में अनुमान लगाया कि यदि सम्पूर्ण सम्पत्ति पर दो प्रतिशत कर लगा दिया जावे और केन्द्र सरकार वित्त, विदेश, सेना, पुलिस और न्याय का खर्च निकालकर शेष धन प्रति व्यक्ति बराबर–बराबर बांट दे तो प्रति व्यक्ति उस समय के अनुसार ढाई हजार और आज के अनुसार चार हजार रूपया प्रति वर्ष होगा। झुनझुनवाला जी ने इतने टेढे–मेढ़े और लम्बे संशोधन में न जाकर सीधा सुझाव दिया है कि भारत की सम्पूर्ण सब्सीडी को प्रति व्यक्ति बांटने पर चार हजार रूपया प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष होगा।

किन्तु मेरी जानकारी के अनुसार भरत गांधी का सुझाव इससे कुछ भिन्न है। उनकी संस्था ने आर्थिक आजादी नाम से एक पर्चा भी बंटवाया है और पहले से भी मुझे जानकारी है। उनके पर्चे क अनुसार तीन बातें प्रमुख हैं।

(1) सभी कर समाप्त कर दिये जावें सिर्फ एक कर ' सम्पत्ति कर लगा दिया जावे जो प्रचलित ब्याज की दर के अनुरूप हो ''

(2) सम्पत्ति कर सब पर समान रूप से न लगाकर एक निश्चित सीमा से अधिक सम्पत्ति पर लगे ।

(3) इसमें से सभी सरकारी खर्चे काटकर ' शेष राशि सभी मतदाताओं में बराबर–बराबर बांट दी जावे।

(4) यह राशि लगभग पांच हजार रूपया प्रतिमाह प्रति मतदाता होगी ।

भरत जी के सुझाव और मेरे सुझाव सिद्धांततः एक हैं। (1) एक कर (2) सम्पति कर (3) ' शासकीय खर्चे काटकर ' शेष धन का समान वितरण। अंतर ह (1) कर की दर (2) सम्पत्ति कर सब पर न लगाकर एक करके सिर्फ मतदाताओं को (3) वितरण सबमें समान न करके सिर्फ मतदाताओं को (4) अनुमानित राशि चार हजार रूपया वार्षिक के स्थान पर पांच हजार रूपया मासिक ।

मैं समझता हूँ कि कर की दर, कर में छूट, अनुमानित राशि आदि के संबंध में भरत झुनझुनवाला जी के विचार मेरे विचारों से अधिक मेल खाते हैं यद्यपि हम तीनों की सोच में कोई ज्यादा फर्क नहीं। भरत झुनझुनवाला जी और भरत गांधी जी जो भी आंदोलन खड़ा करेगे उससे मेरी सहमति है। इतना अवश्य है कि मैं चार सूत्रीय संविधान संशोधन अभियान को अधिक प्रभावकारी और प्रथम वरीयता देता हूँ। और वे आर्थिक मुद्दों को प्रथम वरीयता देते है। मेरा मानना यह है कि राजनीतिक आजादी यद्यपि बहुत कठिन कार्य है किन्तु राजनैतिक आजादी को छोड़कर आर्थिक आजादी से बहुत अधिक हल नहीं निकलने वाला । उनका मानना है कि राजनैतिक आजादी वर्तमान परिस्थितियों में असम्भव कार्य हैं, आर्थिक आजादी आसान है। राजनैतिक आजादी के फेर में कहीं आर्थिक आजादी भी न छूट जावें। अपना–अपना आकलन है, अपना–अपना प्रयत्न । कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि लक्ष्य तो वर्तमान राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन ही तीनों का है। भले ही मार्ग कुछ भिन्न ही क्यों न हो।

प्रश्न–(2) देवेन्द्र सिंह जी, मेरठ, उत्तर प्रदेश

हम जो भी आंदोलन चलाना चाहते हैं उसमें सम्पत्ति की अधिकतम सीमा और वेतन का अधिकतम अंतर की सोमा रेखा पर भी विचार करें। असंतोष बढ़ने में इन आर्थिक असमानताओं का बहुत योगदान रहता है।

उत्तरः– भारत में आर्थिक असमानता और वेतन में बहुत फर्क है इनका सामाजिक असंतोष बढ़ने में बहुत योगदान है। मैं दोनों बातों से सहमह हूँ कि आर्थिक आसमनता भी कम होनी चाहिए और वेतन का इतना फर्क भी उचित नहीं । आपका सुझाव है कि सम्पत्ति की अधिकतम सीमा और वेतन की उच्चतम न्यूनतम सीमा रेखा बनाना इसका उपयूक्त समाधान है। मेरे अनेक और भी साथी ऐसा ही सोचते हैं किन्तु मेरी सोच इससे बिल्कुल भिन्न है। कानून हमेशा भ्रष्टचार के अवसर पैदा करते हैं। कानून का अभाव जितनी समस्याएँ पैदा करता है या जितना अन्यायपूर्ण हैं, भ्रष्ट व्यवस्था में कानून बनाना और अधिक समस्याओं का कारण है और अधिक अन्यायपूर्ण है। पिछले वार्षों में आर्थिक असमानता रोकने के लिये बनाये गय

कानूनों ने भ्रष्टाचार बढ़ाया, काला धन बढ़ाया और स्विस बैंकों तक हमारा धन भिजवा दिया। आर्थिक असमानता रोकने के लिये किये गये सारे प्रयत्न न सिर्फ असफल हुए बल्कि उन्होंने अनेक समस्याएँ बढ़ाई भी। ऐसे ही बेतुके सुझावों को आधार बनाकर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन और मजदूरों के श्रम मूल्य में वृद्धि के भी कानून बना दिये। हमारे सरगुजा जिले में मजदूरों को कानूनी रूप से बहत्तर रूपया प्रतिदिन और वास्तविक रूप से पैंतालीस रूपया प्रतिदिन मिलता है जबकि एक कर्मचारी को कानूनी रूप से ढाई सौ और वास्तविक रूप से पांच हजार रूपया रोज तक की कमाई हैं । आप भ्रष्ट व्यवस्था में यदि मजदूर को हित्तर से स्थान पर एक सौ, कर्मचारी को ढाई सा की जगह दो सौ और अफसर को हजार की जगह पांच सौ भी कर दें तो क्या लाभ होगा ? वेतन का अंतर प्रत्यक्ष घटेगा और परोक्ष बढ़ेगा। जब तक भ्रष्टचार अनियंत्रित होते हुए ऐसी सीमाएँ लागू करने से बहुत हानि ही होगी।

मेरे विचार में ऐसी सारी सीमाएँ समाप्त कर दी जायें जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता हो। सरकारीकरण को पूरी तरह समाप्त करके उसका समाजीकरण कर दिया जाय। इससे भी भष्टाचार घटेगा। जब भ्रष्टाचार नियंत्रित होगा तब हमारी कोई भी सीमा लगाने का अच्छा परिणाम होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सम्पत्ति की सीमा या वेतन का फर्क कम करने के लिये प्रशासनिक कानूनों का सहारा लेने की अपेक्षा आर्थिक प्रबंधन नितियों में कुछ परिवर्तन कर दिये जाये तो भ्रष्टाचार भी नहीं बढ़ेगा और वेतन का अंतर भी स्वय मे कम हा जायेगा।

प्रश्न–(3) श्री रामरतन किसान, ताजसर, सीकर , राजस्थान

लोक स्वराज्य का विचार और राज की कठोरता या मृत्युदण्ड आदि की चर्चा का कोई तालमेल नहीं है। एक हीं आदमी पूरे देश की व्यवस्था का संचालन करें इसकी अपेक्षा अनेक सत्य आत्माएँ स्थानीय स्तर पर सात्विक जीवन जीते हुए अन्यों का मार्ग दर्शन करें तब लोक स्वराज्य आयेगा। समस्याएँ दो हैं, अज्ञान और ' शोषण। व्यवस्थाएँ दो हैं –

(1) स्वाभाविक , (2) मानवकृत। दूसरों द्वारा कराई गई व्यवस्था मानवकृत तथा सरकारी होती है। जिसमें ' शोषण होता है और अज्ञान होता है। अपनी व्यवस्था स्वयं करने को स्वाभाविक तथा सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। अपनी व्यवस्था ' शोषण तो होता ही नहीं बल्कि अज्ञान भी दूर होता है । लोग सात्विक जीवन जिये और अपनी व्यवस्था खुद संभाल लें ता सब कुछ ठीक हो सकता है।

ज्ञान तत्व अंक एक सौ पांच बहुत अच्छा क्यों पैदा हुई ? आपके परिचय में व्यक्ति परक सोच प्रकट होती है। हमें यदि लोक स्वराज्य लाना है तो मैं के स्थान पर हम को महत्व देना होगा अपनी जगह लोक को आगे किये बिना लोक मजबुत नहीं हो सकेगा ।

आपने छत्तीसगढ़ की बजाय दिल्ली कार्यक्षेत्र बनाकर अच्छा नहीं किया। कार्यक्षेत्र की दूरी जितनी बढ़ेगी, गुणवत्ता उनती ही घटेगी । अच्छा होता यदि आप रामानुजगंज से आगे बढ़कर सरगुजा जिले या छत्तीसगढ़ को कार्यक्षेत्र बनाते । मैं तो दिल्ली की दौड़ लगाने की अपेक्षा अपने गांव में ही काम कर रहा हूँ।

उत्तर :– आप तर्क के समय तो गांधी की बात करते हैं और अपहरणाम के समय गांधी को भूलकर ऋषि मुनियों पर आ जाते हैं। गांधी ने स्पष्ट कहा था कि ' शासन को गांवो की व्यवस्था में न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए और यदि ' शासन गांवा को गांव सम्बन्धी निर्णय की स्वतंत्रता न दे तो हमें ऐसी सत्ता से संघर्ष करना चाहिए। गांधी ने इसीलिए गांव की व्यवस्था सम्हालने की अपेक्षा अंग्रेज सत्ता से संघर्ष किया । गांधी जी की पूरी इच्छा थी कि गांव को निर्णय की स्वतंत्रता दी जाए। आपने अपने पहले कथन में तो स्वतंत्रता की महत्ता बताई और परिणाम निकालते समय ठीक विपरित परिणाम निकालकर ग्राम सुधार की वकालत करने लगे । जब आप गांधी को नहीं समझ सके तो मैं आपको क्या समझाउँ। आज गांव गुलाम है और आप संघर्ष छोड़कर निर्माण को महत्व दे रहे हैं। यह गांधी की सोच बिल्कुल नहीं थी । जब तक दूसरों के निर्णय दूसरे करते रहेंगे तब तक शोषण और अज्ञान बना रहेगा। मैं आपसे सहमत हूँ। फिर क्यों न हम आप मिलकर वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने की अपेक्षा हमार मामलों में निर्णय करने वालों से निर्णय का अधिकार वापस ले लें। आप गांधी का नाम लेकर संघर्ष से पलायन करें यह ठीक नहीं । जब निर्माण की आवश्यकता हो तो संघर्ष की भाषा विवाद का कारण बनती है और जब संघर्ष की आवश्यकता हो तो निर्माण की बातें कायरता के भाव भरती हैं। इस दूरी को कम से कम करना आवयक है। इसके लिए सत्तधीशों का हृदय परिवर्तन करना चाहिये और यदि वे गांव को गांव सम्बन्धी निर्णय के अधिकार देने के लिये तैयार न हों तो हमें सत्याग्रह या अन्य अहिंसक संघर्ष ' शुरू कर देना चाहिए। मेरा अपसे निवेदन है कि आप गांधी के नाम पर ग्राम निर्माण की पलायनवादी सलाह की अपेक्षा गांधी विनोबा जयप्रकाश के अधूरे स्वराज्य में बदलने के लोक स्वराज्य को पूर्ण स्वराज्य में बदलने के लोक स्वराज्य ग्राम स्वराज्य क कार्य में लगे सर्वोदयी कार्यकताओं के अधिनिवेश में त्रिसूत्रीय संविधान संशोधन अभियान का जो सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है वह प्रस्ताव पूरी तरह लोक स्वराज्य का प्रस्ताव है। सभी राजनीतिज्ञ और सभी सरकारें चाहती हैं कि सर्वोदय इन प्रस्तावो से हटकर ग्राम निर्माण में लग जावे और वे निष्कंटक ' शासक बनकर ' शोषण करते रहें।

आपने तानाशाह ' शब्द का बुरा माना। मैने लिखा है कि यदि मैं तानाशाह होता तो गांवो को निर्णय की पूर्ण स्वतंत्रता देकर सिर्फ पांच विभाग केन्द्र सरकार के पास रखता। मेरे इस कथन में आपको कहाँ तानाशाही की गंध आई यह मैं नहीं समझाा। तानाशाह ' शब्द से भडकनें की अपेक्षा उसका अर्थ समझने की कृपा करें।

आपने स्वयं लिखा कि कार्यक्षेत्र की दूरी गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। मैने तो वही किया है। मुझे सत्याग्रह जिस केन्द्र सरकार के विरूद्ध करना है उसका केन्द्र दिल्ली और ' शाखा स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए आप मुझे केन्द्र अम्बिकापुर या छत्तसगढ़ तक सीमित करने की सलाह देकर क्या भूल नहीं कर रहे । क्या शासन के विरूद्ध सत्याग्रह या संघर्ष वहाँ से संभव है? मैने रामानुजगंज में किसी सुधार या निर्माण के लिए पांच वर्ष नगरपालिका के रूप में बर्बाद नहीं किये हैं और न ही वैसी मेरी कोई इच्छा थी। मैंने पांच वर्ष प्रयोग के लिये लगाये हं और प्रयोग में सफलता के बाद पूरी तैयारी से दिल्ली आया हूँ।

आपने लिखा कि मैं के स्थान पर हम का प्रयोग उचित होगा । व्यवस्था परिवर्तन अभियान का चार सूत्रीय संविधान संशोधन सर्व समस्त प्रस्ताव हैं। वह आंदोलन मेरा नहीं बल्कि आप हम सबका है। किन्तु इस अभियान और आंदोलन को छोड़कर बाकी सभी विचार मेरे व्यक्तिगत हैं, सर्वसमस्त नहीं। ऐसे विचारों पर विचार मंथन जारी रहना चाहिए। इसीलिये ऐसे सभी विचारों के साथ मैं ' शब्द ही उचित होगा, हम नहों। जब ये मंथन निष्कर्ष में बदल जायेंगे तब मैं के स्थान पर हम ' शब्द का प्रयाग उचित हो जायगा । लोक स्वराज्य आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का प्रथम चरण है अंतिम नहीं । इसका अंतिम चरण तो वह होगा जिसकी आप सलाह दे रहे हैं अर्थात् ग्राम निर्माण और चरित्र निर्माण । लोक स्वराज्य के लिये संघर्ष की रूपरेखा बन रही है दूसरे चरण के लिए विचार मंथन प्रारंभ है। तीसरे चरण के लिये किसी तैयारी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वह तो हम सबकें स्वभाव में ही है। नाविक पेड़ से बंधी रस्सी को खोले बिना नदी में चप्पू चलाने स नाव कभी आगे नहीं बढ़ती । गांधी की मृत्यू के बाद शासन से समाज को मुक्त किये बिना ही सामाजिक जागृति के किये गये प्रयासों का भी वही परिणाम होना था और हुआ कि परिणाम शून्य हुआ किन्तु परिश्रम बहुत अधिक और पूरी ईमानदारी से हुआ। मेरी आपको सलाह है कि प्रथम चरण के हरूप में नाव की रस्सी पेड़ से अलग करिये और तब आगे के प्रयत्न प्रारंभ करिये।

प्रश्न–(4) श्री एम.एस.सिंगला, बैंक कालोनी नाका मदार, अजमेर, राजस्थान

आपने ज्ञानतत्व एक सौ पांच में व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की है वह बहुत श्र मसाध्य कार्य है। अंक एक सौ छः भी बहुत प्रभावी बन पड़ा है। अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार की चर्चा की है। मरे विचार से नियूक्ति करता को ही वापसी का अधिकार होना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। सांसद भ्रष्टाचार प्रकरण में लोकसभा अध्यक्ष को चाहिए था कि वे सांसदों को संसद द्वारा बरखास्त करने की अपेक्षा मतदाताओं के पास भेजते क्याकि संसद उनकी नियोक्ता नहीं है। जब सोमनाथ चटर्जी मतदाताओं को वापसी का अधिकार दिये जाने के पक्षधर हैं तो उन्हें विशेष रूप से यह कदम उठाना चाहिए था

आपने पहले व्यवस्था परिवर्तन की अवधि दो हजार पांच घोषित की थी बाद में बढ़ाकर नौ कर दी गई। यह आपकी विवशता हो सकती है। महत्व की बात यह है कि विदेशी सोच वाले कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन के सामने बिखरे हुए संगठन कितना टिक पायेंगे। आप लोग एक अरब की जनसंख्या में एक लाख संकल्पपत्र चाहते हैं। इससे क्या संभावना बनती है। वह भी कितना पूरा हो पायेगा यह पता नहीं । पचपच वर्ष के इतिहास ने बता दिया कि उक्त वयस्था वाले ' शासन की अहिंसा के बड़े धब्बे के नीचे हिंसा के अनगिनत परमाणु छिपे हुए हैं। आजाद ' शासन ने किसी वर्ग को हिंसा के बिना दिया ही क्या है ?

आपका प्रयास प्रशंसनीय तो है किन्तु सफलता के प्रति संदेह बना हुआ है। पहले आपके प्रयास के श्रोत का उत्स एक सीमिहत क्षेत्र से था। अब राजधानी की विशालता को प्राप्त हुआ है। डर है कि कहीं वहाँ के कूचों में भ्रमित न हो जाए । मैं आपको अधिक प्रत्यक्ष सहायता तो नहीं कर पाया किन्तु आर्थिक सहायता स्वरूप डेढ़ सौ रूपया का मनीआर्डर भेज रहा हूँ।

उत्तर :– आपने छः प्रश्न उठाये हैं

(1) प्रतिनिधि वापसी ।
(2) व्यवस्था परिवर्तन की घोषित अवधि में परिवर्तन ।
(3) कांग्रेस कम्युनिस्ट गठबंधन की ' शक्ति के समक्ष अपनी तुलनाा ।
(4) हिंसा में सफलता के अधिकार अवसर ।
(5) अपने साथियों से सतर्कता।
(6) अपनी आर्थिक सहायता ।

(1) निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार मतदाओं को या एतदर्थ उनके द्वारा बनाई गई किसी इकाई को हो इसका यह अथ नहीं कि संसद या न्यायालय को यह अधिकार न हो। संसद यदि किसी सांसद का आचरण अनुपयुक्त पाती है तो वह उसे हटा सकती है किन्तु उस व्यक्ति को न्यायालय में जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता । न्यायालय भी किसी सांसद को किसी अपराध के लिये हटा सकता है। हमारी मांग तो मात्र यही है कि प्रतिनिधि वापसी का मतदाताओं अर्थात् नियोक्ता को भी अधिकार मिले । यह नियम ठीक नहीं कि नियोक्ता को यह अधिकार न हो । उसकी सहमति के बिना ही अन्य इकाइयाँ उसका उपयोग करने लगें।

(2) हमलोगों ने नव्वे में यह घोषित किया था कि सन् पंचान्नेवे के अंत तक नई व्यवस्था का अंतिम प्रारूप बना लेग तथा दो हजार पांच तक आंदोलन पूरा होकर व्यवस्था बदल जायेगी । हम सबकी योजना थी कि हम किसी भी स्थिति में न हिंसा करेंगे न कानून तोड़ेंगे। यहाँ तक कि हम हड़ताल या चक्काजाम भी नहीं करेंगे। हमें उम्मीद थी कि शासन से हमारा कोई टकराव कभी नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रयास सत्ता से विद्ध न होकर व्यवस्था के विद्ध है। किन्तु सन् पंचान्नवे में जब हमारा प्रारूप घोषणा का कार्य अंतिम चरण में था तब तत्कालीन मध्यप्रदेश सरकार ने हमारे कार्यालय, परिवार और सम्पूर्ण ' शहर पर गैर कानूनी आक्रमण करके हमारे सारे कार्य को तहस नहस कर दिया । हमें कानूनी जीत और फिर से प्रारूप घोषित करने में चार वर्ष का अतिरिक्त समय लगाना पड़ा। फिर भी हम अपनी गति बढ़ाकर दो हजार सात तक परिवर्तन की योजना रखत थे किन्तु चार नवंबर निन्यानवे को देश भर के आये हुए विद्वानों ने और अधिक परिपक्वता क ख्याल से पांच वर्ष रामानुजगंज शहर में प्रयोग की सलाह दी। जनवरी पांच में प्रयोग पूरा हुआ है। अक्टूबर पांच से दिल्ली में कार्यालय व्यवस्थित हुआ है। दो हजार नौ तक परिवर्तन की संभवना है। यह परिवर्तन नौ में भी हो सकता है और आठ या दस में भी किन्तु मेरे आकलन अनुसार अवधि दो हजार नौ है। म कोई ज्योतिषी नहीं हूँ न ही कोई भविष्य वक्ता हूँ। किन्तु मेरे जोवन में अब तक की ऐसी आकलित घोषणाएँ पूरी तरह सच होने से मुझे सफलता की पूरी उम्मीद है। दिल्ली में जिस तरह लोंगों का विश्वास और बढ़ा है। आपका बौद्धिक और आर्थिक सहयोग मिल रहा है इससे भी हमारा उत्साह और विश्वास बढ़ा है।

(3) आप इस संबंध में कहीं भूल कर रहे हैं। स्वःव्यवस्था सम्पूर्ण विश्व की आवश्यकता है, सिर्फ भारत की नहीं । अतः हमें विदेशी का भूत अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। हमारा संघर्ष सत्ता से नहीं है। व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अनेक कांग्रेसी कम्युनिस्ट भी हमारा साथ दे सकते हैं और अनेक भाजपाई या सर्वोदयी भी हमारा विरोध कर सकते हैं। जो लोग स्वयं को शासक और शेष सबको शासित समझते हैं वे सब हमारा विरोध करेंगें। इनमें से कुछ लोग गांधी और माक्स के नाम पर हमारे विरोध का बहाना खोज लेंगे तो कुछ राम कृष्ण और भारतीय संस्कृति के नाम पर। जिन्हें विरोध करना है वे कोई न कोई बहाना खोज ही लेंगे। किन्तु एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी भी होगी जो समाज को मालिक और स्वयं को मैनेजर मानकर काम करते हैं। ये गांधी, मार्क्स, राम, कृष्ण और भारतीय संस्कृति में ही हमारे समर्थक के अवसर पायेंगे और समर्थन भी करेंगे। हमारा पूरा संघर्ष किसी भी रूप में न राजनैतिक है न धार्मिक। यह तो शुद्ध सामाजिक संघर्ष है। भारत की राजनीति ने स्वयं का कस्टोडिय स्वरूप बदलकर उन्हें मैनेजर बना देंगे। हमारा व्यवस्था परिवर्तन का यह प्रथम चरण है जो हमारे अनुसार दो हजार नौ तक पूरा हो जायगा। हमने संघर्ष टलने के लिए राजनेताओं के समक्ष सिर्फ चार संविधान संशोधन के प्रस्ताव रखें हैं। कष्ण ने तो दुर्योधन से संघर्ष टलने पांच गांवों की सत्ता चाही थी। हम तो मात्र चार संशोधन मांग रहे हैं। उसमें भी यदि प्रतिनिधि वापसी और परिवार गांव जिले के अधिकारों की सूची संविधान में शामिल करने की 2 मागें भी मान ली जावें तो हम संघर्ष टालने पर विचार कर सकते हैं अन्यथा अहिंसक और संवैधानिक संघष अवश्यंभावी है। यद्यपि अनेक ज्योतिषी भी दो हजार नौ में परिवर्तन की भविष्यवाणी कर रहे हैं। किन्तु मेरा हम सबकी तैयारी के आधार पर यह आकलन है।

(4) मैं आपसे सहमत हूँ कि शासन की आवश्यकता से कम शक्ति प्रयोग के कारण हिंसा के प्रति सफलता अधिक निश्चित मानी जा रही है। मैने इस संबंध में एक लेख पहले भी लिखा है। किन्तु मेरा स्वयं का विश्वास है कि लोकतंत्र में सामाजिक हिंसा का कोई स्थान न है न होना चाहिए। मैने अपन शहर में देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हम सब पर जो गैर कानूनी आक्रमण किया वह यदि हम हिंसा पर आ जाते तो नहीं जीत पाते। हिंसा के बल पर भारत में आज तक कोई न्याय नहीं पा सका हैं। यह जरूर है कि हिंसा के बल पर लूट में हिस्सेदारी में सफलता मिल जाती है । राम जब समुद्र के समक्ष हाथ जोड़े खड़े थे या कृष्ण जब समझौते का संदेश लेकर गये थे तब भी आप जसे लोग उन्हें कह रहे थे। किन्तु इतिहास साक्षी है कि राम और कृष्ण ने भी हिंसा को पहला चरण न मानकर अंतिम चरण माना था। गांधी को भी लोग कायर कहते थे और आज भी गांधी की अपेक्षा कुछ लोग भगतसिंह या आजाद को सफलता का अधिक श्रेय देते हैं। मैं न राम कृष्ण और गांधी हूँ न भगत सिंह और आजाद। मैं न सिंह का पक्षधर हूँ न विरोधी। मै तो यह मानता हूँ कि राम कृष्ण गांधी भगतसिंह और आजाद का संघर्ष किसी ऐसी राजनैतिक व्यवस्था से नहीं था जिसे वोट के द्वारा बदला जा सक। सौभाग्य से हमारा संघर्ष ऐसी व्यवस्था से है जिसे वोट के द्वारा बदला जा सकता है। पता नहीं क्यों आप लोग इतनी साधारण सी बातो भी नहीं समझते । जिनके तर्क कमजोर होते हैं, जो जनमत जागृत नहीं कर पाते, जिन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं है और जनमत पर भी विश्वास नहीं है वही बार–बार हिंसा की वकालत करते हैं। मैं आपसे अच्छी तरह परिचित हूँ आप अहिंसक संघर्ष में तो छोटी या बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं किन्तु हिंसक संघर्ष में आपकी भूमिका बिल्कुल शून्य रहेगी क्योंकि न आप शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हैं न मानसिक रूप से हिंसक। मेरा आपसे निवेदन है कि घर बैठे हिंसा की ताल ठोकने की अपेक्षा अब तक जिस तरह हमारा वैचारिक आर्थिक सहयोग करते रहे हैं वह करिये और यदि और कर सकें तो कुछ संकल्प पत्र भरवा कर हमें भिजवा दें।

(5+6) आपने हमें साथियों से सतर्क किया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपके साथ मिल बैठकर और चर्चा होगी तब सूचनाओं का आदान प्रदान हो जायेगा। आपका एक सौ पचास रूपया मिल गया है। हमने ज्ञान तत्व में जमा कर दिया है।

प्रश्न– 5. श्री सी. पी.सिंह ए–38, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान

आपके विचारों से लगता है कि आप संविधान बदलना चाहते हैं। किन्तु अब तक लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही तो व्यवस्था करते हैं। यदि दोष क्या है? आप जो व्यवस्था करेंगे उसमें भी तो निर्वाचित प्रतिनिधि ही होंगे। फिर अंतर क्या आयेगा ?

उत्तर :– मैंने संविधान बदलने की बात नहीं की । मैंने लोकतंत्र का भी विरोध नहीं किया लोकतंत्र में सुधार और संविधान में मात्र दो संशोधन की मांग हम कर रहे हैं। हमने जन प्रतिनिधि चुने हैं मालिक नहीं हम उन्हें कस्टोडियन (अभिरक्षक) से मैनेजर का रूप देना चाहें तो इसमें उन्हें क्यों आपत्ति है। वे हमारे प्रतिनिधि हैं। हम उनके दायित्व कम करना चाहते हैं तो कौन सी अलोकतांत्रिक बात हो गई ? उनमें भ्रष्टाचार है यह आप भी मानते हैं। हम उनके अधिकार कम कर दें तो उनका भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। हम उन्हें हटाने का अधिकार ले लें तो वे कुछ डरेंगे। हमने सुरक्षा के लिए चूहे को अधिकार दिया था। चूहा धीरे–धीरे उस अधिकार का दुरूपयोग करके शेर बन गया। शेर आदमखोर बन गया। हम चाहते हैं चूहे से ' शेर बने व्यक्ति को कभी भी चूहा बनाने का हमें अधिकार हो । इसमें आपको लोकतंत्र को खतरा नहीं दिखाना चाहिये। बल्कि अभी जो चल रहा है वह एक तरह से लोकतंत्र का मजाक है। लोकतंत्र की अब तक जो परिभाषा है कि लोक द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों का तंत्र। हमारी व्यवस्था में भी जन प्रतिनिधि होगें लेकिन वे हमारे संरक्षक न होकर व्यवस्थापक होंगे। सिर्फ इतना ही नई व्यवस्था के लोकतंत्र में बदलाव होगा।

प्रश्न–(6) श्री कुंदन लाल कुशवाहा , खलीलपुर बदायूँ उ0प्र0

ज्ञान तत्व एक सौ पांच पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि अब परिवर्तन को उचित नेतृत्व प्राप्त हो गया ह। मेरे विचार में आप भगवान महाकाल के पांच वीरभद्रों में से एक है जिनका अवतार राजनैतिक गुलामी से मुक्ति के निमित्त योजना पूर्वक हुआ है। आपके विचार पूज्य श्री राम शर्मा जी के ही विचारों के अंश है तथा संविधान का प्रारूप भी उनके अठारह सत्संकल्पों में समाई हुई विचारधारा है। किन्तु आपकी गति बहुत कम होना चिन्ता का विषय है। यदि आप अपनी मिसाइल गायत्री परिवार रूपी राकेट पर रखकर दाग दें तो अल्प समय में ही परिवर्तन संभव है । आप ज्ञान तत्व अंक एक सौ पांच यदि ' शांतिकुंज हरिद्वार भेज सकें तो बहुत उपयोगी होगा।

हिम्मत को मत हारना, हे प्यारे बजरंग
आदि ' शक्ति के साथ में महाकाल है संग
नचा रहे हैं आपको दे अपने संकेत
ड्यूटी पर अपनी सदा रहना बंधु सचेत
मिले आपको ढेर सा श्रेय और सम्मान
भूल न करना स्वयं पर करके तुम अभिमान

उत्तर :– आपने जो सलाह दी है उस ध्यान में रखेंगे । आप यदि इस संबंध में शांतिकुंज हरिद्वार को कुछ लिखें तो अधिक अच्छा होगा।

प्रश्न (7) श्री रविकान्त खरे डी. एस 13 निरालानगर, लखनऊ, उ0प्र0

व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम कर रही अनेक संस्थाओं को समझने देखने का अवसर मिला किन्तु आपकी सोच अन्य सबसे अधिक स्पष्ट दिखी। यदि आप व्यवस्था परिवर्तन में सक्रिय अन्य संगठनों को एक मंच पर लगाकर प्रयास शुरू करें तो सफलता अधिक निश्चित होगी।

व्यवस्था में जो खमियाँ हो उन्हें ठीक करने की आवश्यकता है। पूरी व्यवस्था बदलने का प्रयास सफल होना संभव नहीं दिखता । अव्यवस्था के प्रमुख बिन्दुओं पर विचार हो और मिल जुलकर उन्हें ठीक करने का प्रयास हो, यही मेरा आपको सुझाव है।

उत्तर :– वर्तमान समय में जो भी संस्थाएँ व्यवस्था परिवर्तन के कार्य में लगे हैं वे सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन में नहीं। मेरे विचार से राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन हुए बिना सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन कभी परिणाम नहीं दे सकता। हम समाज में फैली गंदगी को साफ करने का प्रयास करते रहें और राजनीति समाज में निष्कंटक गंदगी फैलती रहे यह दिशा उचित नहीं। पहले राजनीति पर अंकुश लगाना होगा कि अब और अधिक समस्याएँ पैदा न कर सके तब समाज सुधार का काम करना होगा। स्वतंत्रता के बाद पचपन वर्षों तक आप समाज सुधरक और सामाजिक व्यस्था परिवर्तन में लग चुके किन्तु परिणाम विपरित हुआ । सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में लगे अनेक लोगों ने स्वयं का और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया किन्तु न समाज में व्यवस्था बदली न ही राजनेताओं को अपनी पारिवारिक व्यवस्था परिवर्तन से रोका जा सका। मुझे तो कोई संस्था या संगठन दिखा नहीं जो राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन में लगा हो। यदि आप ऐसे संगठनों की जानकारी दे सकें तो मैं अवश्य प्रयास करूँगा।

आपने व्यवस्था में परिवर्तन की अपेक्षा सुधार की बात की है। मैने पचीस तीस वर्षों के सुधार के प्रयत्नों की विफलता के बाद ही यह मार्ग चुना है। मेरे विचार में यह राजनैतिक व्यवस्था इतनी अधिक अविश्वसनीय हो गई है कि इसमें पबन्द लगाने की अपेक्षा इसका सम्पूर्ण स्वरूप परिवर्तन ही समाधान है। आप व्यवस्था में सुधार के प्रयत्न करते रहे हैं। आप यदि उससे संतुष्ट हैं तो आप उस दिशा में सक्रिय रहें। मुझे कोई आपत्ति इस लिए नहीं कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। मेरी इच्छा है कि साथ–साथ आप व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में भी हमारी सहायता करते रहें। किन्तु आप इस कार्य को असंभव कहकर हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास न करें क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन अभियान की सफलता का भी पूरी तरह आकलन किया जा चुका है और यह भी निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र मार्ग है। लखनऊ परिक्षेत्र के व्यवस्था परिवर्तन अभियान प्रमुख का दायित्व श्री योगेश मिश्र जी को दिया गया है। आप उनसे मिलकर या सीधे दिल्ली कार्यालय से जुड़कर हमारी सहायता कर सकते हैं।

प्रश्न–(8) डॉ0 प्रभु एम.ए.पी.एच.डी., सत्यशीलम प्रेस, सागर माध्यप्रदेश

ज्ञान तत्व अंक 105 मेरे सामने है, जिस प्रकार 25 वर्ष पूर्व के आपके कुछ निष्कर्ष बदल गए हैं, उसी प्रकार कुछ वर्ष बाद आज के कुछ निष्कर्ष बदल सकते हैं। व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मुख्य तत्व विचार है किन्तु वह परिवर्तनशील है। आज हम गांधी –बिनोवा –जयप्रकाश दयानन्द अथवा किसी भी महान् विचारक को पूरा का पूरा आत्मसात नहीं करते अपितु कुछ समय –सापेक्ष विचारों क अनुसंधान भी करते हैं । देश व्यापी वैचारिक बहस छेड़ना आम सहमति प्राप्त करना है। इस दृष्टि से आप अवश्य ही अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचेंगे।

समस्याओं के वर्गीकरण पर कृपया पुनः दृष्टि डालें । पर्यावरण प्रदूषण और जल का अभाव ये प्राकृतिक समस्याएँ हैं और आबादी वृद्धि वास्तविक समस्या । विदेशी कंपनियों का संकट भूमण्डलीय समस्या है। पूँजी, बचत और ऋण का विश्व स्तर पर वितरण एवं संचरण और इससे उत्पन्न समस्या तथा पूँजीवादी जीवन प्रणाली को ही मनुष्य की जीवन प्रणाली बनाने का उन्मादी और ढीठ भूमंडलीय अभियान नई विकृतियों को जन्म दे रहा है। सैकड़ों टी.वी. चैनलों का अहर्निश कोहराम हर चीज को उपभोक्ता वस्तु में बदलने पर आमादा है। इस तरह लाभ तो प्रायः पहले से ही सुविधा प्राप्त वर्ग उठा रहा है तथा वंचित तबक कीमत चुकाते हुए और बेहाल हो रहे हैं। दुनिया की बहुसंख्य आबादी यह कब तक बर्दाश्त कर सकती है कि सब कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुँह ताक कर तय हो तथा उसका जीवन दूभर होता चला जाए ।

7वी समस्या पर भी कृपया विचार करें। यह सांस्कृतिक समस्या है। आज विभिन्न संस्कृतियों के दुष्प्रभाव को रोकना कठिन हो गया है। जिसमें मनुष्य और समाज की आस्था और विश्वास को हिला दिया है। मनुष्य सही तो सब सही है। (एक प्रामाणिक, चरित्रवान मनुष्य के निर्माण में धर्म, शिक्षा, संस्कार और परंपराओं के प्रभावों को अमान्य नहीं किया जा सकता। अतः संस्कृति–समन्वय धर्म को मानवीय धर्म के रूप म स्वीकार करना, शिक्षा की भूमिका निर्धारित करना और आदर्श संस्कारों व परंपराओं पर बल देना आवश्यक है। भेददृष्टि और असहिष्णुता ने इनके द्वारा अनेक समस्याएँ उत्पन्न कर रखी हैं। आपने इस विषय पर भी विचार किया है। मैं केवल समस्या–वर्गीकरण की बात लिख रहा हूँ। स्वयं विकसित दीर्घकालिन नियम पालन से प्रतिबद्ध व्यक्तियों के समूह समाज हैं। किन्तु परस्पर असहिष्णुता के कारण वे एक वैश्विक समाज अथवा विश्व व्यवस्था नहीं बनने देते और राष्ट्र समाज से बड़ा हो जाता है।

मेरे गुरूवर पूज्य पाटणकर जी ने रामानुजगंज में रहते हुए आपके छात्र–जीवन की गतिविधियाँ स्वयं देखी हैं । आप विचार–मंथन के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। ज्ञान तत्व के माध्यम से सागर रहते मैं भी साक्षी हूँ। आपके सम्मेलनों में मेरे मित्र पहुचते रहे हैं। ज्ञान तत्व अंक 105 के सभी बिन्दओं पर विचार करने के उपरांत उनकी पुष्टी करते हुए मेरी अपेक्षा है कि अब इन विचारों को जो कि आपके अनुभवों की अग्नि में तपकर निखरे है संगठित प्रयास से क्रियान्वित किहया जाए। प्रयोग द्वारा सत्य तक पहुँचा जा सकता है और एक सत्य शोधक के लिए यही अभीष्ट है अपने हृदय परिवर्तन , मूल अधिकार ,स्वदेशी , समानता जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की क्रांति कारी परिभषाएँ दी है। भावी भारत का संविधान प्रस्तावित किया है। आपके विचारों और सुझाओं की भाँति आपका परिचय भी प्रेरक है ।

ज्ञान तत्व का अंक 105 नई व्यवस्था की ' गाईड ' एवं भावी भारत का वर्तमान ' मेनी फेस्टो ' हैं। इस महान उपलब्धि के लिए आपको हार्दिक बधाई एवं आपका भव्य अभिनंदन !.....

उत्तर :– आपने समस्याओं के वर्गीकरण पर चर्चा की । प्राकृतिक समस्याएँ वे हैं जो स्वतः होती हैं, अकस्मात् होती हैं तथा जिनकी उत्पत्ति म हमारी नगण्य भूमिका होती है। पर्यायवरण प्रदूषण, जल का आभाव आदि में हमारी स्वयं की भूमिका अणिक है और प्राकृतिक कम। अकाल या सूख को प्रकृतिक माना जा सकता है।

आबादी की वृद्धि और मिलावट में से मिलावट के तात्कालिक समाधान की आवश्यकता है और आबादी वृद्धि के दीर्घकालिन । दोनों समस्याओं का चरित्र और प्रभाव भी भीन्न–भीन्न है। मिलावट एक अपराध है । जिसे रोकना राज्य का दायित्व है कर्तव्य मात्र नहीं। आबादी की वृद्धि अपराध न होकर एक समस्या है जिसका नियंत्रण सबकी सलाह से हो सकता है। अतः आवादी वृद्धि को अपराध जन्य समस्याओं क साथ नही रखा जा सकहता। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का देश की अर्थ व्यवस्था पर घातक प्रभाव है किन्तु इन्हें कानून से रोकना न उचित है न संभव। विश्व में राष्ट्र की टूटती हुई दीवारों को मजबुत किये बिना भारत में इनसे निपटा जा सकता है। बहुराष्ट्रीय केन्द्रित व्यवस्था है जिसे फलने फूलने के लिये सस्ता आवागमन आवश्यक है। विदेशी कम्पनियों को रोककर भरतीय कंपनियों को मजबुत करना समस्या का राष्ट्रीय पक्ष ह माननीय नहीं । मानवीय पक्ष तो यह है कि कुटिर अद्योग बढ़े। जब तक श्रम आधारित रोजगार और स्थानीय उत्पादन एवं खपत आधारित उद्योग का विकास नहीं होगा तब तक मानवीय पक्ष प्रबल नहीं हो सकता । मानवीय पक्ष को प्रबल करने के लिए आवागमन व्यय को बढ़ाना होगा तथा रम की मांग को बढ़ाकर मशीनी उत्पादन को निरूत्साहित करना होगा। इसके लिए उत्पादानों पर कर लगने की प्रणाली को समाप्त करके कृत्रिम ऊर्जा पर भारी करारोपण करना आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति पर विदेशी संस्कृति के आक्रमण से सांस्कृतिक तरीके स ही निपटा जा सकता है कानूनी समाधान तरीके से नहीं। यह एक सामाजिक समस्या है। हमें कानूनी समाधान और सामाजिक यमाधान में घालमेल से बचना होगा। हम प्रशासनिक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को अलग–अलग तरीके से देखने की आदत डालें तभी उनका ठीक ढंग से समाधान संभव है।

हम सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में संगठित प्रयास का कदम उठा चुकें हैं दो हजार नौ तक परिणाम तक पहुँचाने की महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के रूप में व्यवस्था परिवर्तन अभियान प्रारंभ हो चुका है। संजीव मिश्र जी नानक वार्ड सागर ने सागर जिला सहित कुछ जिलों का दायित्व लिया है। उनसे भी आप सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रश्न–(9) श्री एम.एस. सिंगला , बैंक कालोनी , नाकामदार , अजमेर , राजस्थान

ज्ञान तत्व अंक 107 में बाबा रामदेव का प्रसंग लिया गया है जो सामयिक और प्रासंगिक है। वस्तु स्थिति का आकलन , उसका विश्लेषण की विधि तो सराहनीय हैं परन्तु उसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की किंचित भी कमी दर्शाना ' नुक्ता चीनी ' कही जायगी , और उससे बचना ही उचित है। बड़ा काम करने में कुछ ऊक चूक तो हो ही जाती हैं जिसे परोपकार के क्षेत्र का देखते हुए उसकी अनदेखी करने योग्य होती है। बाबा रामदेव के कृत्य से कहीं कोई हानि भ्रष्टाचार , अनाचार नहीं बनता त किस बात का हो हल्ला ?

परार्थी, देशभक्ति से ओत प्रोत विचार और लक्ष्य वाले ' स्वच्छन्द ' और निरापद संत के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग ' शोभा नहीं देता कि ' ख्याति का लोभ संवरण नहीं कर सकें '। बाा ने येन केन प्रकारेण देश का उत्थान सोचा है, योग से लेकर आयुर्वेद और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरोध तो इसमें बुराई क्या है ? बाबा तो प्रायः अपन हर सम्बोधन में ये शब्द रेखांकित करते हैं कि योग से राष्ट्रीय भावना पनपगी।

ऐसे वातावरण में बाबा जैसे परमार्थी कानूनों की बारीकियों में नहीं जा पाते, विशेष रूप से उन कानूनों की बारीकियों में जो वस्तुतः गलत बने हो। जैसा कि अन्यत्र स्वीकार किया गया है कि ही उनका बालश्रम का उलंघन उछाला गया है।

आज कलियुग में अपनी सीमा मे रहने वाले सतयुगी या त्रेता के सन्यासियों का काम नहीं है। आज तो बाबा रामदेव की जरूरत है जो अध्यात्म को देश, मानवता और उत्थान से समग्र रूप से जोड सकें।

ज्ब राज्य सभा की सदस्या तेज तर्रार वृन्दा जैसे स्तर पर कानूनी प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी रह गई तब उक परमार्थी सन्यासी से समाज –सेवा की प्रक्रिया में किसी कानूनी चूक को ढूंढना यह चरितार्थ करता है कि नियम हमारे सेवक नही हम उनके दास है । अतः ऐसी निरापद चूक ध्यान देने योगय होती ही नहीं हैं।

सच तो यह है कि जैसा कि संकेत दिया गया है साम्यवादी भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों के विरोधी हैं, वे विदेशों से धन लेकर राजनीति करने के लिए विख्यात है, तब ऐसे प्रकरण पर अनावयक पक्ष–विपक्ष की माथापच्ची को छुआ ही न जाए तो बेहतर ।

कुछ ऐसी ही स्थिति फांसी की सजा को लेकर हैं। देश के महामहिम , सुप्रीम कोर्ट के सेवा निवृति न्यायधीश और सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक अशोक माधव जैसे शीर्षस्थ लोग जब फांसी को अपराध रोकने का हल नहीं मानते तो वे अपराध रोकने का कारगर उपाय लेकर उपस्थित क्यों नहीं होते ? जबकि तात्कालिक तो इसके दो गलत संदेश जाते है– अपराधियों के लिये यह है कि उनके प्रति नरम रूख है (और सवे बेहिचक अपराध करें और यही हो रहा है।) आम जन के लिए यह कि इस प्रकार के सोच वाले न्याय क कुर्सी पर बैठे होंगे वहां उनसे न्याय अशा रखना व्यर्थ होगा।

अपराधियों को जनता की गाढ़ी कमाई से राजस्व निचोड़ कर अपराधियों के पालन–पोषण संरक्षण में खर्च करना कैसे न्याय , कसी नैतिकता , कैसा समाजशास्त्र समझा जाय। ऐसा शयद सिर्फ इसलिए हो ता है कि क्योंकि इस स्तर के महानुभवों ने उस दंश को नहीं सहा होता है। यह वैसा ही है कि जब एक वर्ग विशेष कहीं उत्पाद मचाकर खून–खराब कर डालता है तो राजनेता की लोक सुझावन अपनी होती है ' शांत बनाए रखने की अपील अर्थात् अन्याय भी रहो और शांति भी रहों। ऐसे लोग ही अपराधी को अपराध से बचाने की वकालत कर सकते है और करते हैं। राघवन जैसे व्यक्तित्व का यह कथन कितना हास्यास्पद ह , कि यह सबसे बड़ी सजा इसलिए दी जाती है कि लोग हत्याकरने से बाज आए। इसका मतलब यह हुआ कि कानून में मौत की सजा के प्रावधान के करण हत्याऐं कम होनी चाहिए । असल में ऐसा हुआ नहीं । पिछले दस सालों में हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। क्या राघवन चाहते है कि मात्र मृत्युदंड के प्रावधान से हत्या होनी बन्द हो जानी चाहिए । वे यह कहते तो

बात गले उतरती कि गत दस सालों में इतनी हत्याओं के लिए इतने अधिक लोगों को फांसी दी गई , तब भी ग्राफ बढ़ा है , तब स्थिति विचारणीय बन सकती थी।

अतः ऐसे कुतर्क की बहस में पडना जिसका कोई परिणाम नहीं , न केवल अपना श्रम और समय नष्ट करना है अपितु बैठे ठलि अपना बी. पी. बढ़ाना है।

उत्तर :– मैने जो लेख लिया वह मेरी जानकारी और निष्कर्षो क आधार पर सत्य पर आधारित था लाभ हानि के आकलन पर नहीं । स्वामी दयानन्द जी ने आर्य समाज के दस नियमों में चार पांच स्थानो पर सत्य का महत्व बताया है। गांधी जी ने भी सत्य की महत्त बताई। मुझे भी महसूस होता है कि हमें प्रशंसा और सम्य को एक साथ जोड़कर देखना चाहिए। वृंदा करात कोई कोई समाज विरोधी त्वि नहीं । साम्यवादी विचारों क लोग भी ऐसे अपराधी नहीं कि हमें सच या झूठ का सहारा लेकर सहारा लेकर उनका विरोध करना चाहिए। अभी संसद में जो सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये उसमें एक भी साम्यावादी नहीं था। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये सर्वाधिक दबाव साम्यवादियों ने ही बनाया। मेर विचार में तो मेरे जैसे व्यक्ति को साम्यवादियों की इस संबंध में खुलकर प्रशंसा करनी ही चाहिए।

मैं आयुर्वेद और योग का प्रशंसक हूँ, विरोध नहीं। किन्तु विचारक की प्रशंसा और चरण की प्रशंसा के बीच का अंतर मैने बनाये रखा है। ब्रह्मण और वैश्य में बहुत अंतर होता है। भारतीय संस्कृति में ब्राह्मण , क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की भिन्न–भिन्न प्रवृति और भिन्न–भिन्न सम्मान की व्यवस्था है। ब्राह्मण को धन और पद से मुक्ति की अनिवार्य ' शर्त पर ही सर्वोच्च सम्मान का अधिकारी बनाया है। धन और पद का आकांक्षी सर्वोच्च सम्मान का हकदार नहीं भले ही उसे सर्वोच्च ' शक्ति या सर्वोच्च सुविध मिल जावे । यदि हम सुविधा और सम्मन को इकट्ठाकर देंगे तो संतुलन बिगड़ जायेगा। अतः रामदेव जी को ब्राह्मण या सन्यासी के समकक्ष सम्मान प्राप्त करनने के लिये बहुत कुछ करना होगा। अब तक रामदेव जी की जो दिशा है वह अन्य लोगों से अच्छी है और उतना सम्मान मेरे सहित सब लोग उन्हें देते भी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेदिक और योग को अपने गुणों के आधार पर आगे बढने दीजिये । दुनियाँ को कहीं ऐसा महसूस होना ठीक नहीं कि हम भारतीय आयुर्वेद और योग को गुणों की अपेक्षा प्रचार के द्वारा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

फांसी के विषय में आपके विचार तर्क संगत हैं। अशोक माधवन जी सरीखे लोगों को समाज ' शास्त्र का ज्ञान न होने से ऐसे बेसिर पैर की बातें कह बैठते हैं। एक सात फुट के दरवाजे स बार–बार चिड़िया अंदर घुसते देख दरवाजे को छोटा किया गया और कई बार छोटा करने के बाद भी जब चिड़िया का प्रवेश जारी रहा तो ऐसे लोगों ने अर्थ निकाला कि दरवाजे को छोटा करना चिड़िया को रोकने का कोई समाधान नहीं है क्योंकि सात बार दरवाजे को छाटा करने के बाद भी चिड़िया का प्रवेश बदस्तूर जारी है। वही हाल फांसी की सजा का है। अपराधों में होने वाली सजा की मात्रा उस समय के वातावरण को देखकर तय होनी चाहिए । सजा की मात्रा क्या हो और स्वरूप क्या हो यह समाज में पैदा होने वाले भय को देखकर तय करें । यदि राघवन जी तथा माधवन जी सरीखे लोग ऐसा तहसूस करते हैं कि फांसी की सजा समाप्त होने से अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी तो उन्हें इस संबंध मं अपना पक्ष रखना चाहिये अन्यथा मैं तो सिंगल जी के विचार से सहमत हूँ ।

प्रश्न (10) श्री मदन कोहन जी व्यास, 13 अजन्ता सिनेमा रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश

आप और आचार्य पंकज जी मिलने आये इससे बहुत खुशी हुई। आप लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहतें हैं। आपने रतलाम में एक गोष्ठी में ये विचार व्यक्त किये कि " हमारा उद्देश्य तो सम्पूर्ण व्यवस्था बदलना है किन्तु हम व्यवस्था परिवर्तन के पथम चरण के रूप में अभी दो प्रस्ताओं (1) सांसदो व विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार मतदाताओं को मिले और (2) केन्द्र और राज्यों के अधिकारों की सूची भी जुड़े " पर अधिक जोर देकर आंदोलन को लगातार व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पूरे देश में एक लाख सत्याग्राही भी भर्ती हो रहें है। और आपको दो हजार नौ तक सफलता की उम्मीद है।

मेरा पूरा–पूरा समर्थन और सहयोग रहेगा। साथ ही मेरे कुछ सुझाव भी हैं जिन पर ध्यान देना उचित होगा।

(1) चार मुदों में से दो को छोड़कर ' शेष दो पर आप ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। बनवारी लाल ' शर्मा जी ने भी इसके पूर्व करोड़ हस्ताक्षर करवाये किन्तु परिणाम ' शुन्य रहा। यदि पंचायतों तथा अन्य स्थानीय संहस्थाओं से ऐसे प्रस्ताव कराये जाये तो अधिक प्रभावी होगा।

(2) आप गांव और जिलों के अधिकारों की सूची जोड़ने की बात कर रहे हैं। यदि गांव और जिले की जगह पर प्रखंड और नगर शब्द रखें तो अधिक उपयुक्त होगा। इससे सांसद भी अधिक सुविधाजनक रूप से समझ सकंगे।

उत्तर :– आप सबसे चर्चा करके हमें भी खुशी हुई। आप हमारे आंदोलन की केन्दोय कार्य समिति के सदस्य हैं। आप एक हजार रूपया वार्षिक देकर हमारे संरक्षक सदस्य भी हें। आप इतनी सक्रियता से हमारे साथ हैं। यह सब देखकर ही हमें घोषणा करने में सुविधा होती है कि दो हजार नौ सौ से भी पहले व्यवस्था परिवर्तन का प्रथम चरण पूरा हो सकता है।

आपने रतलाम चर्चा में सुझाव किया था कि निचली इकाइयों को विधायी कार्यपालिक और न्यायिक अधिकार पूरे के पूरे दे दिये जावे जिससे वे गणराज्य क रूप में काम कर सकें। आपके सुझाव से हम सहमत हैं और हमारा दूसरा प्रस्ताव एसा ही है। हमने गांव और जिला शब्द लिखा है और आपका सुझाव प्रखंड शब्द का है। आपके सुझाव पर विचार किया जा सकता है।

आपका दूसरा सुझाव यह था कि विधायिका और कार्यपालिका को पूरी तरह अलग–अलग करना चाहियें । ममै। आपके इस सुझाव से भी सहमत हूँ। किन्तु वर्तमान आंदोलन के प्रथम चरण में यह मुद्दानहीं जुड़ा है। द्वितीय चरण में जोड़ा जायगा।

आपने हस्ताक्षरों क परिणामों पर ' शंका व्यक्त की । हम सबकी कार्यकारिणी तथा सम्मेलन ने जो कार्यक्रम तय किया है उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। गांवसभा नगर सभा से ऐसे प्रस्ताव पारित कराने की दिशा में भी सक्रियता होनी चाहिए और होगी ।

आपका समर्थन और सहयोग मिलता रहेगा।

उत्तरार्ध

व्यवस्था परिवर्तन अभियान धीरे–धीरे आकार ग्रहण कर रहा हैं ' शकरपुर में कार्यालय ठीक ढंग से व्यवस्थित हो गया है। कार्यलय के एक भाग से ज्ञान यज्ञ मंडल संचालित होता हैं और दूसर भाग से व्यवस्था परिवर्तन अभियान ।

ज्ञान यज्ञ मंडल एक संस्था है जो पूरे भारत में विभिन्न विषयों पर विचार मंथन और निष्कर्ष निकालने में सक्रिय है। ज्ञान यज्ञ मंडल व्यवस्था परिवर्तन अभियान आंदोलन में या उसके सांगठनिक ढांचे में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। व्यवस्था परिवर्तन अभियन चार सूत्रीय संविधान संशोंधन अभियान तक सीमित हैं। इसका अन्य अनेक विषयों से कोई संबंध नहीं। व्यवस्था परिवर्तन अभियान एक स्वतंत्र संगठन है।

बजरंगलाल जी ज्ञानयज्ञ मंडल के भी प्रमख हैं और व्यावस्था परिर्तन अभियान के भी संयोजक। ज्ञानयज्ञ मंडल और व्यवस्था परिवर्तन अभियान भिन्न–भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के इसलिए पूरक हैं कि चार सूत्रीय संविधान संशोधन अभियान व्यवस्था परिवर्तन का प्रथम चरण है और अन्य सभी समस्याओं का समाधान द्वितीय चरण। विचार मंथन और निष्कर्ष निकलना भविष्य में व्यवस्था परिवर्तन के लिये उपयोगी होगा। किन्तु ज्ञान यज्ञ मंडल के चिन्तन से आंदोलन का कोई सम्बन्ध नहीं हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए भी आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं।

ज्ञानतत्व दोनों की साझी पत्रिका है। अब तक बजरंगलाल जी ही दोनो पर लिखते रहे हैं। किन्तु इससे कई बार भ्रम होता रहा है। व्यवस्था परिवर्तन अभियान के साथ कट्टर गांधी भक्त भी जुड़े हैं और गांधी विरोध भी । हमारे साथ जातीय आरक्षण समर्थक भी जड़े हैं और आरक्षण विरोधी भी । दो अलग–अलग विचारों के लोग ज्ञानयज्ञ मंडल क माध्यम से ज्ञानयज्ञ मंडल एक वैचारिक संस्था है। ज्ञान यज्ञ मंडल से जुड़े लोग ज्ञानतत्व में ' शुद्ध वैचारिक चिन्तन ही देखना चाहते हैं जबकि आंदोलन से जुड़े लोगों की मांग है कि ज्ञानतत्व नीरस बहस की अपेक्षा

आंदोलन समाचार सूचनाएँ प्रकाशित करें। सभी बातों पर विचार करने के बाद तय हुआ कि ज्ञानतत्व के दो भाग कर दिये जावें (1) पूर्वार्ध और (2) उत्तरार्ध । पूर्वार्ध भाग के माध्यम से तैयार करेंगे और दूसरा भाग व्यवस्था परिवर्तन अभियान कार्यालय द्वारा तैयार किया जायगा जो कार्यालय प्रमुख शिव दत्त जी क माध्यम से तैयार होगा। पूर्वार्ध भाग के लेख या प्रश्नोत्तर का पूरा दायित्व या ता बजरंगलाल जी का व्यक्तिगत रूप से रहगा या ज्ञान यज्ञ मंडल का। उत्तरार्ध में छपे समाचार या विचार व्यवस्था परिवर्तन कार्यालय के हागे।

ज्ञानतत्व अब तक रामानुजगंज से ही छपता है। अब शीघ्र ही दिल्ली से भी छपना ‘ शुरू हो जायगा। ज्ञानतत्व का अंग्रेजी एडीशन भी शीघ्र शुरू होगा। जो लोग अंग्रेजी एडीशन पढ़ना चाहें वे अपनी इच्छा पत्र द्वारा सूचित करें । यदि अंग्रेजी के पचास पाठक भी हुए तो ज्ञान तत्व द्वारा अंग्रेजी में शुरू कर देंगे।

ज्ञान तत्व के ग्राहकों के संबंध भी नीति में बदलाव आया है। अब ज्ञान तत्व ज्ञान यज्ञ मंडल के संरक्षक सदस्यों, केन्दीय मार्गदशक मंडल व लोक संविधान सभा के सभी सभी सदस्य तथा व्यवस्था परिवर्तन अभियान की कार्यकारिणी के सदस्य , परिक्षेत्र प्रमुख व जिला प्रमुखों के निश्चित रूप से जायगा चाहे वे शुल्क दे या न दे।एक सौ एसे अन्य ज्ञानतत्व भी निःशुल्क जा सकते हैं जो शुल्क देने की स्थिति में न होते हुए भी उपयोगी हैं। अन्य सभी ज्ञानतत्व सशुल्क ही जायेंगे। निःशुल्क ज्ञानतत्व अगले माह से बंद कर दिये जायेंगे। ज्ञानतत्व पाक्षिक है उस पर वार्षिक व्यय एक सौ रूपया आता है किन्तु अभी हम पांच सौ रूपया आजीवन या पचास रूपया वार्षिक पर भी ज्ञान तत्व भेज रहे हैं जो आगे भी जारी रहेगा।

राष्ट्रीय महासचिव	कार्यालय सचिव
कैलाश श्रीवास्तव	शिवदत्त तिवारी

हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन अभियान

विगत 6–7 फरवरी को व्यवस्था परिवर्तन अभियान, दिल्ली इकाई के प्रमुख कार्यकर्ता श्री सुनील एक्का ने हिमाचल प्रदेश प्रवास के दौरान श्री यशपाल सिंह एवं श्री विपिन कुमार के सहयोग से कांगड़ा जिले की जयसिंह पाल तहसील में आयोजित एक बैठक में अभियान की इकाई की नींव डाली। तदन्तर श्री विपिन कुमार अध्यक्ष और श्री जगदीश चन्द्र उपाध्यक्ष तथा श्री राकेश कुमार सचिव सहित बीस सदस्यों की कार्यकारिणी का गठन हुआ।

उस बैठक में मुख्य रूप से मंगू , मलेहर, टम्बर, मझोटा, कथेन व झंमूह गांवो क लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री एक्का ने ग्रामीणों के प्रश्नों का समाधान किया तथा सरल शब्दों में अपनी बात रखी। बैठक में पूर्व प्रधान श्री अमर सिंह विशेष रूप स उपस्थित थे जिनके मार्ग दर्शन में संकल्प पत्रों पर हस्ताक्षर कराये जाने का कार्य प्रारभ किया गया। दूसरे दिन श्री एक्का, श्री सुरेश गुलेरिया के साथ गुलेर पहुँचे तथा व्यवस्था परिवर्तन से पहले से जुड़े श्री गिरिधर योगेश्वर से भेंट की। श्री एक्का ने दिल्ली लौटकर बताया कि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है अतः अभियान के गति पकड़ने में समया लग सकता है।

व्यवस्था परिवर्तन समाचार

व्यवस्था परिवर्तन अभियान ने सम्पूर्ण भारत में एक अराजनैतिक संगठन की संरचना ‘ शुरू कर दी है। संगठन की क केन्द्रीय कार्यकारिणी का गठन प्रारंभ है जिसके सदस्य अपने–अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जिलों में बीस–बीस सदस्यो की कार्यकारिणी बनायंगे। ये केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अपने–अपने परिक्षेत्र में निम्नानुसार सक्रिय होगें।

(1) परिक्षेत्र में जिला पमुखों की नियुक्ति और जिला कमेटी का गठन ।
(2) संकल्प पत्र भरवाना ।
(3) एक अगस्त से दो अक्टूबर के बीच की परिवर्तन यात्रा के अपने परिक्षेत्र में बैठक सम्मेलन के स्थानों की सूचना।
(4) ज्ञान तत्व के ग्राहक बनाना और उनसे संवाद ।
(5) अपने परिक्षेत्र से पंद्रह ऐसे नाम प्रस्तावित करना जो लोग संविधान सभा के लिये उपयुक्त हों।

कई प्रान्तों से अभी ये स्थान खाली हैं। जो साथी यह दायित्व स्वीकार करना चाहें या किसी उपयुक्त व्यक्ति से चर्चा करके उनका नाम प्रस्तावित करें उस पर विचार किया जावेगा। यदि कोई साथी केन्द्रीय कार्यकारिणी का दायित्व वहन न करके एक जिले मात्र की कमेटी बना सकें और उपर लिखे पांच कामों में हमारा सहयोग कर सकें वे हमें या परिक्षेत्र प्रभारी को सूचित करने की कृपा करें। अब तक श्री अब्दुल भाई तथा श्री एम.एच.पाटिल जी को राष्ट्रीय सह संयोजक का दायित्व दिया गया है। अन्य प्रगति की सूचना समय पर जायगी।